संख्या-46/2026/I-1275652 /डी-42/38-2002-002-3/2024

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-06/लेखा-पेंशन-डी0आर0डी0ए0(ग्रेच्युटी) /2025-26, लखनऊ दिनांक 04 फरवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्ष- "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान (गैर वेतन)" के मद में जनपदों से प्राप्त माँग की संकलित सूचना के अनुसार धनराशि रू0 109.00 लाख (रूपये एक करोड़ नौ लाख मात्र) अवमुक्त/स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक- "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1300.00 लाख (रूपये तेरह करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 109.00 लाख (रूपये एक करोड़ नौ लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1 प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों उ0प्र0 बजट मैनुअल और फैाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों एवं अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्ते कर ली जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा आंकडों की शुद्वता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(3) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियम संगत व्यय एवं निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्याक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में व्यय किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइन /दिशानिर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(10) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त आय-व्यय अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,09,00,000 (रुपये एक करोड़ नौ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 2501068000300 जिला ग्राम विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-2-227-X-2025-26, दिनांक 20-3-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

(3) नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय आयुकत, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनुभाग-3

(7) ग्राम्य विकास अनुभाग-5/8

(8) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) गार्डबुक।

आज्ञा से,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।